

आयकर आयुक्त
16 गुप्त टावर उदयपुर
GOVERNMENT OF INDIA
Office of The
Commissioner of Income Tax
Udaipur

212

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -

लक्ष्मी एज्युकेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 14.07.2004 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2007 को प्रस्तुत किया है।

~~यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में है।~~

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था।
~~न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के बेसी माफी का आवेदन नहीं किया गया है।~~

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12ए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा - 12ए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्ट्रार संख्या 84/27 पर दर्ज कर लिया गया है।



ह
(एम.एस. मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12ए/2007-08/ 1380

दिनांक : 07.01.2008

1. लक्ष्मी एज्युकेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर।
2. आयकर अधिकारी, बार्ड-2(1), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्यन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा - 12ए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा - 11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
3. अतिरिक्त आयकर आयुक्त, रेंज-2, उदयपुर।

(कुन्जमोन अब्राहम)
आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर